उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या:86/2021/ 1355164/12-2002/4/2021

लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू. 15,00,00.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू. 6,25,00,00,000/- (छः अरब पच्चीस करोड़ रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा,
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा,
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदो पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा,
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा,
6. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष ''2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी'' के नामे डाली जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या:86/2021/ 1355164(1)12-2002/4/2021तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/924/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in